राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1569/2012/झुंझुनूं

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, वृत झुंझुनूं .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विजय ड्रिलिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
नाहर सिंघानी, झुंझुनूं .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 71/आरवैट/झुंझुनूं/11–12 में किये गये अपीलीय आदेश दिनांक 12.01.2012 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"प्रत्यर्थी"** कहा जायेगा) की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत झुंझुनूं (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24(3), 55 एवं 58 के अन्तर्गत पारित आदेश विवादित था जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट के सम्बन्ध में 'G' Schedule तथा नियमित लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करने पर स्वविवेक से एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए रूपये 1,63,917/– की मांग कायम की गई थी।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2008–09 हेतु प्रत्यर्थी का नियमित कर निर्धारण किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे लेखा पुस्तकें व अन्य अभिलेख पेश करने हेतु सूचना पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी वांछित रिकॉर्ड पेश नहीं किये जाने पर अधिकारी द्वारा Best Judgment Assessment सम्पूरित करते हुए कर रूपये 1,53,750/–, ब्याज रूपये 33,300/– व शास्ति रूपये 2005/– आरोपित करते हुए टी.डी.एस. राशि रूपये 24,392/– का समायोजन देते हुए रूपये 1,64,663/– की मांग सृजित की गई। इस आदेश से

निरन्तर.....2

व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 12.01.2012 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा चूंकि आवश्यक अभिलेख यथा 'G' Schedule तथा लेखा पुस्तकें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश नहीं की गई थी अतः सर्वोत्तम विवेक से जो एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है तथा अपीलीय अधिकारी ने अपील आंशिक स्वीकार कर त्रुटि कारित की है। वैकल्पिक रूप में उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रकरण की पुनः जांच हेतु एवं सही गणना किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जा सकते हैं।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में यह लिखा गया था कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 06.01.2011 को पेशी दिनांक 28.01.2011 के लिये नोटिस जारी किया गया था, उस दिन व्यवहारी उपस्थित भी हुआ परन्तु बिना किसी विशिष्ट नोटिस के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर अनावश्यक मांग सृजित कर दी गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील श्रवण के दौरान तथ्यों की विस्तृत जांच किये जाने के पश्चात् ही जो निष्कर्ष दिया गया है वह पूर्णतः उचित है। इस आधार पर उन्होंने विभागीय अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की। उनका यह भी कथन है कि समान प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1582/2012/झुंझुनू निर्णय दिनांक 05.06.2017 में अपीलीय आदेश की पुष्टि कीं गई है।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई के समय तथ्यों का विस्तृत रूप से परीक्षण किया है तथा उसके पश्चात् वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वह उचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने योग्य है।

6. उक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

03.04.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य